



Case File Number: UP-20403-RF-XL-012

Issuance Date: 06/05/2019

Document Number: 14-LOEE-11348

Expiry Date: 06/05/2024

LICENSE FOR OPERATION OF MEDICAL DIAGNOSTIC X-RAY EQUIPMENT

In exercise of powers conferred under Section 16 and 17 as applicable of Atomic Energy Act, 1962 read in conjunction with Rule (3) of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules (AE(RP)R), 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby issues Licence in favour of Ms. SUBHARATI K K B CHARITABLETRUST to operate the following medical diagnostic x-ray equipment located at SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE SUBHARATIPURAM NH 58, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE NH 58 DELHI HARIDWAR MEERUT BY PASS ROAD MEERUT, UTTAR PRADESH-250005 for medical diagnostic purpose.

Type of Equipment	Manufacturer	Model	Equipment ID
Computed Tomography	M/s. Philips Medical Systems	Ingenuity Core 128	G-XL-14637

The TRUST, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, MEERUT and MS. SUBHARATI K K B CHARITABLETRUST are hereby identified as the Employer and licensee respectively, for the purpose of assigning the responsibilities specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in respect of radiation protection of workers, public and environment because of operation of the above equipment.

The Employer and Licensee are responsible for,

- I. Ensuring compliance with the relevant provisions of the
 - i. Atomic Energy Act, 1962
 - ii. Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
 - iii. AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2), 2001, Amendment 2012, and the revisions thereof
 - iv. All applicable Safety Codes, Guides issued by AERB for the above practice and regulatory documents issued by AERB from time to time.
 - v. Directives issued by Competent Authority from time to time.
- II. Ensuring compliance with terms and conditions stated overleaf.

Note:

This Licence is issued ONLY from the RADIATION SAFETY VIEW POINT. All other clearances shall be obtained from concerned state/central/local authorities as applicable.



Dr. P. K. Dash Sharmas
Head, RSD

MS. SUBHARATI CHARITABLETRUST
SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI VIVEKANAND
SUBHARATI UNIVERSITY


Note: This document is also available at www.aerb.gov.in/eiora



परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, नियामक भवन, अनुसंधानमार्ग, मुंबई 400094 (महाराष्ट्र)
Atomic Energy Regulatory Board, Nyamakh Bhavan, Anushthanmarg, Mumbai-400094 (Maharashtra)



An IAEA member state
Organization



Case File Number: UP-20403-RF-XR-017

Issuance Date: 23/04/2019

Document Number: 14-LOEE-10114

Expiry Date: 29/05/2024

मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स-रे उपकरण के प्रचालन हेतु पंजीकरण

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 तथा 17 जो कि लागू हो, के साथ पठित परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम [एई (आरपी)आर], 2004 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) एतद्वारा Ms. SUBHARATI CHARITABLETRUST के पक्ष में SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI-VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE SUBHARATIPURAM NH 58, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE NH 58 DELHI HARIDWAR MEERUT BY PASS ROAD MEERUT, UTTAR PRADESH-250005 स्थित निम्नलिखित मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स-रे उपकरणों का मेडिकल डाइग्नोस्टिक उद्देश्य हेतु प्रचालन करने के लिए पंजीकरण जारी करता है।

उपकरण का प्रकार	विनिर्माता	मॉडल	उपकरण का आईडी
Radiography (Fixed)	M/s. Allengers Medical Systems Limited	MARS 50 PLUS	G-XR-16581

उपरोक्त उपकरण के प्रचालन के कारण कार्मिकों, जनता तथा पर्यावरण के विकिरण से संरक्षण के संबंध में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट जिम्मेदारियों को सौंपने के उद्देश्य हेतु **TRUST, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, MEERUT** तथा **MS. SUBHARATI CHARITABLETRUST** को क्रमशः नियोक्ता तथा अनुज्ञापिकर्ता के रूप में पहचाना गया है।

NA

नियोक्ता तथा अनुज्ञापिकर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी हैं,

I. निम्नलिखित के संगत प्रावधानों सहित अनुपालन सुनिश्चित करना

i. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

ii. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004;

Note: This document is also available at www.aerb.gov.in/elora



परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400094 (महाराष्ट्र)
Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400094 (Maharashtra)

वेबसाइट/Website: www.aerb.gov.in

दूरभाष/Tel: 91-22-2599 0656



An ISO 9001:2009
Organisation

फैक्स/Fax: 91-22-2599 0650

iv. उपरोक्त कार्यों के संबंध में एईआरबी द्वारा जारी किये गये सभी संरक्षा संहिताएं, दिशानिर्देश तथा एईआरबी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनिर्मायक दस्तावेज़

v. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देश।

II. पिछले पृष्ठ पर दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नोट :-

यह पंजीकरण केवल विकिरण संरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अन्य सहमतियाँ संबंधित राज्य/केंद्र/स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त करनी होंगी।

(डॉ. पी के दाश शर्मा)

प्रभागाध

यक्ष, आरएसडी

MS. SUBHARATI CHARITABLE TRUST, TRUST
SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI VIVEKANAND
SUBHARATI UNIVERSITY
SUBHARATI MEDICAL COLLEGE SUBHARATI PURAM NH 58, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE NH 58
DELHI HARIDWAR MEERUT BY PASS ROAD
MEERUT, UTTAR PRADESH-250005
CC: TRUST, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI
VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, MEERUT

निबंधन तथा शर्तें

1. इस पंजीकरण में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा गतिविधियां नहीं की जानी हैं।
2. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 अथवा आईआरबी संरक्षा संहिता (आईआरबी/एससी/एमईडी-2) में दी गई नियोक्ता, अनुज्ञापिकर्ता तथा आरएसओ की विनिमायक जिम्मेदारियों का पालन करना होगा।
3. विकिरण कार्मिकों के लिए योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्मिकों तथा कार्मिक मॉनिटरिंग सेवा की सभी समय के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
4. व्याख्या और रिपोर्टिंगके लिएअर्हता प्राप्तरेडियोलॉजिस्टअथवासंबंधितचिकित्सक, जिसकोविकिरण सुरक्षाकी पर्याप्त जानकारीहो, की सेवाओं की सभी समयके लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों को किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु सम्पूर्ण सुविधाएँ दी जानी चाहिए। विनिर्माण/आपूर्ति/गुणवत्ता आश्वासन परीक्षणों/टाइप अनुमोदनों का अभिलेख उपलब्ध करवाना होगा।
6. संस्थान के स्वामित्व वाले एक्स-रे उपकरणों की सावधिक संरक्षा स्थिति रिपोर्ट आईआरबी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
7. आईआरबी से विशेष अनुमति लिये बिना एक्स-रे उपकरण को न बेचा जाए और नही इसे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाए।
8. लेआउट में कोई परिवर्तन/एक्स-रे उपकरण की स्थिति/स्थान में कोई परिवर्तन करना हो तो विनिमायक निकाय की पुर्वानुमति लेनी होगी।
9. इस एक्स-रे उपकरणसे किसी प्रकार के विकिरण उद्घासन की कोई घटना होती है तो इसकी सूचना तुरंत आईआरबी को देनी है।
10. पंजीकरण के समाप्त होने के पूर्व इसका नवीकरण कराना होगा।
11. इस पंजीकरण की एक प्रति एक्स-रे उपकरण/संस्थापन के पास स्पष्ट दिखें ऐसी जगह पर प्रदर्शित की जानी होगी।
12. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट के अनुसार इस अधिनियम/नियम/संहिता के किसी प्रावधानों अथवा अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में यह अनुज्ञप्ति निलंबित, आशोधित की जा सकती है अथवा वापस ली जा सकती है। ऐसी किसी घटना में, जहाँ समुचित प्रतित होता हो, आईआरबी उक्त नियोक्ता/अनुज्ञापिकर्ता के विरुद्ध दण्ड की कार्रवाई भी कर सकता है।
13. इस पंजीकरण के जारी होने के बाद किसी सूचना जैसे अनुज्ञापिकर्ता, नियोक्ता, संस्थान का नाम, पता आदि में परिवर्तन अथवा मेडिकल एक्स-रे उपकरण की संख्या में वृद्धि/विकमीशनन आदि के संबंध में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में अनुज्ञापिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस बारे में पंजीकरण में आवश्यक संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया है।
14. एक्सरे उपकरण विकिरण सुरक्षा में प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। कोई विकिरण कार्यकर्ता को टीएलडी बैज / पीएमएस के बिना एक दूसरे उपकरण संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



Case File Number: UP-20403-RF-XR-018

Issuance Date: 23/04/2019

Document Number: 14-LOEE-10113

Expiry Date: 29/05/2024

मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स-रे उपकरण के प्रचालन हेतु पंजीकरण

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 तथा 17 जो कि लागू हो, के साथ पठित परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम [एई (आरपी)आर], 2004 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) एतद्वारा Ms. SUBHARATI CHARITABLETRUST के पक्ष में SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI-VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE SUBHARATIPURAM NH 58, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE NH 58 DELHI HARIDWAR MEERUT BY PASS ROAD MEERUT, UTTAR PRADESH-250005 स्थित निम्नलिखित मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स-रे उपकरणों का मेडिकल डाइग्नोस्टिक उद्देश्य हेतु प्रचालन करने के लिए पंजीकरण जारी करता है।

उपकरण का प्रकार	विनिर्माता	मॉडल	उपकरण का आईडी
Radiography (Fixed)	M/s. Allengers Medical Systems Limited	Allengers 525	G-XR-16583

उपरोक्त उपकरण के प्रचालन के कारण कर्मिकों, जनता तथा पर्यावरण के विकिरण से संरक्षण के संबंध में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट जिम्मेदारियों को सौंपने के उद्देश्य हेतु TRUST, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, MEERUT तथा MS. SUBHARATI CHARITABLETRUST को क्रमशः नियोक्ता तथा अनुज्ञापिका के रूप में पहचाना गया है।

NA

नियोक्ता तथा अनुज्ञापिका निम्न के लिए उत्तरदायी हैं,

I. निम्नलिखित के संगत प्रावधानों सहित अनुपालन सुनिश्चित करना

i. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

ii. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004;

Note: This document is also available at www.aerb.gov.in/elora



परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400094 (महाराष्ट्र)
Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400094 (Maharashtra)

वेबसाइट/Website: www.aerb.gov.in

दूरभाष/Tel: 91-22-2599 0656



An IS/ISO 9001:2008
Organisation

फैक्स/Fax: 91-22-2599 0650

iv. उपरोक्त कार्यों के संबंध में एईआरबी द्वारा जारी किये गये सभी संरक्षा संहिताएं, दिशानिर्देश तथा एईआरबी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनिमायक दस्तावेज़

v. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देश।

II. पिछले पृष्ठ पर दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नोट :-

यह पंजीकरण केवल विकिरण संरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अन्य सहमतियाँ संबंधित राज्य/केंद्र/स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त करनी होंगी।

(डॉ. पी के दाश शर्मा)

प्रभागाध

यक्ष, आरएसडी

MS. SUBHARATI CHARITABLE TRUST, TRUST
SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI VIVEKANAND
SUBHARATI UNIVERSITY
SUBHARATI MEDICAL COLLEGE SUBHARATI PURAM NH 58, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE NH 58
DELHI HARIDWAR MEERUT BY PASS ROAD
MEERUT, UTTAR PRADESH-250005
CC: TRUST, SUBHARATI MEDICAL COLLEGE AND ASSOCIATED C S S HOSPITAL UNDER SWAMI
VIVEKANAND SUBHARATI UNIVERSITY, MEERUT

निबंधन तथा शर्तें

1. इस पंजीकरण में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा गतिविधियां नहीं की जानी हैं।
2. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 अथवा आईआरबी संरक्षा संहिता (आईआरबी/एससी/एमईडी-2) में दी गई नियोक्ता, अनुज्ञापिकर्ता तथा आरएसओ की विनिर्मायक जिम्मेदारियों का पालन करना होगा।
3. विकिरण कार्मिकों के लिए योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्मिकों तथा कार्मिक मॉनिटरिंग सेवा की सभी समय के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
4. व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए अर्हता प्राप्त रेडियोलॉजिस्ट अथवा संबंधित चिकित्सक, जिसको विकिरण सुरक्षा की पर्याप्त जानकारी हो, की सेवाओं की सभी समय के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों को किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु सम्पूर्ण सुविधाएँ दी जानी चाहिए। विनिर्माण/आपूर्ति/गुणवत्ता आश्वासन परीक्षणों/टाइप अनुमोदनों का अभिलेख उपलब्ध करवाना होगा।
6. संस्थान के स्वामित्व वाले एक्स-रे उपकरणों की सावधिक संरक्षा स्थिति रिपोर्ट आईआरबी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
7. आईआरबी से विशेष अनुमति लिये बिना एक्स-रे उपकरण को न बेचा जाए और नही इसे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाए।
8. लेआऊट में कोई परिवर्तन/एक्स-रे उपकरण की स्थिति/स्थान में कोई परिवर्तन करना हो तो विनिर्मायक निकाय की पुर्वानुमति लेनी होगी।
9. इस एक्स-रे उपकरणसे किसी प्रकार के विकिरण उद्घासन की कोई घटना होती है तो इसकी सूचना तुरंत आईआरबी को देनी है।
10. पंजीकरण के समाप्त होने के पूर्व इसका नवीकरण कराना होगा।
11. इस पंजीकरण की एक प्रति एक्स-रे उपकरण/संस्थापन के पास स्पष्ट दिखें ऐसी जगह पर प्रदर्शित की जानी होगी।
12. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट के अनुसार इस अधिनियम/नियम/संहिता के किसी प्रावधानों अथवा अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में यह अनुज्ञप्ति निलंबित, आशोधित की जा सकती है अथवा वापस ली जा सकती है। ऐसी किसी घटना में, जहाँ समुचित प्रतित होता हो, आईआरबी उक्त नियोक्ता/अनुज्ञापिकर्ता के विरुद्ध दण्ड की कार्रवाई भी कर सकता है।
13. इस पंजीकरण के जारी होने के बाद किसी सूचना जैसे अनुज्ञापिकर्ता, नियोक्ता, संस्थान का नाम, पता आदि में परिवर्तन अथवा मेडिकल एक्स-रे उपकरण की संख्या में वृद्धि/विकमीशनन आदि के संबंध में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में अनुज्ञापिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस बारे में पंजीकरण में आवश्यक संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया है।
14. एक्सरे उपकरण विकिरण सुरक्षा में प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। कोई विकिरण कार्यकर्ता को टीएलडी बैज / पीएमएस के बिना एक दूसरे उपकरण संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।